कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 30-05-2024

विषय:- वाराणसी कमिश्नरेट में दिनांक 01.06.2024 को सामान्य निर्वाचन 2024 सप्तम चरण के मतदान ड्यूटी में लगे समस्त कर्मचारी/अधिकारी की ब्रीफिंग की गई।

- **वाराणसी कमिश्नरेट में लोकसभा क्षेत्र–77 वाराणसी व 76-चन्दौली (आंशिक) में होगा मतदान।**
- **मतदान ड्यूटी में तैनात होंगे 12000 अर्द्धसैनिक बल व पुलिस के जवान**
- **मतदान क्षेत्र 25 जोन व 188 सेक्टर में बाँटकर तैनात किये गए जोनल, सेक्टर, मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी।**
- **1034 मतदान केन्द्रों के 2654 बूथों पर होगा मतदान, 158 मतदान केन्द्र के 512 बूथ है क्रिटिकल।**

आज दिनांक 30-05-2024 को सप्तम चरण के मतदान हेतु सामान्य प्रेक्षक श्री अमित सिंह नेगी, पुलिस प्रेक्षक श्री संजय कुमार सेन, पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल व जिलाधिकारी वाराणसी श्री एस राजलिंगम द्वारा मतदान को शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने हेतु तैनात जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी, अर्द्धसैनिक बल व पुलिस बल की रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग में संयुक्त पुलिस आयुक्त डा0 के एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त श्री एस चनप्पा, अर्द्धसैनिक बल, पीएसी के अधिकारी/कर्मचारी, बाह्य जनपद के पुलिस बल, होमगार्ड्स व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। उक्त ब्रीफिंग में मतदान को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

- **मतदान के दिन सार्वजनिक व निजी वाहन संचालन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। मतदाता अपने निजी वाहन से मतदान केन्द्र जा सकते है।**
- **63 फ्लाइंग स्क्वाड, 63 स्टैटिक सर्विलांस टीम गठन की गई है, निरन्तर रहेगी भ्रमणशील।**
- **सभी संवेदनशील केन्द्रों पर केन्द्रीय बल की तैनाती।**
- **क्रिटिकल मतदान क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगी अर्द्धसैनिक बल व पुलिस की 54 क्यू0आर0टी0।**

- **27 अन्तर्जनपदीय बैरियर व 43 बैरियर पर निरन्तर की जा रही निगरानी व प्रभावी चेकिंग।**
- **सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही सतर्क दृष्टि।**
- **दण्ड प्रक्रिया के धारा 144 के प्रभावी होने के कारण मतदान केन्द्रों के बाहर 05 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे एकत्रित।**
- **बूथ के अन्दर मोबाइल फोन ले जाना रहेगा प्रतिबन्धित ।**
- **सुरक्षा प्रदत्त व्यक्ति बूथ के भीतर अपने सुरक्षाकर्मी को नहीं ले जा सकेंगे।**

➢ अन्य निर्देश

1. पुलिस बल को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में मतदान सम्पन्न कराये जाने हेतु चुनाव आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।
2. कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पोलिंग स्टेशन के अन्दर नहीं जायेगा जब तक शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा न बुलाया जाये।
3. मतदान स्थल पर स्त्री-पुरुष मतदाताओं की अलग-अलग लाइने रहेगी। वृद्धजन, गर्भवती महिला व अशक्त मतदाता बीएलओं द्वारा जारी प्राथमिकता पास पर वरियता पर मतदान करेंगे।
4. मतदान के दौरान किसी को भी बूथ के अन्दर शस्त्र व मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
5. मतदान के दौरान मतदेय स्थल(बूथ) पर मतदाता के अलावा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 प्रभावी रहेगी। मतदान कर चुके व्यक्तियों को भी केन्द्र के अन्दर व बाहर एकत्रित नहीं होने दिया जायेगा।
7. मतदाताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत मतदान के दिन निजी व सार्वजनिक यातायात सामान्य दिनों की भाँति चलेगा।
8. चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन व शांति-व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
9. बूथ ड्यूटी में लगे पुलिस बल, पीठासीन अधिकारी/मतदान स्टाफ, मतदाताओं एवं मतदान एजेंण्टों के प्रति विनम्र, शिष्ट एवं सहयोगात्मक व्यवहार रखेंगें।
10. पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान हर कार्य अत्यधिक सतर्कता, शालीनता, निष्पक्षता एवं विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।